BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXVI | 9 September, 2015 | No. 15

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय पंचतत्व में विलीन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय का निधन दिनांक 29 अगस्त, 2015 को पूर्वाहन में हो गया। चैम्बर में ''बाबा'' नाम से लोकप्रिय युगेश्वर पाण्डेय जी कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। उनकी मृत्यु के समाचार से समस्त उद्योग एवं व्यापार जगत के लोग मर्माहत हो गये। मृदुभाषी, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी तथा चैम्बर के पार्याय बन चुके श्री युगेश्वर पाण्डेय सदैव राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के लिए प्रत्येक मंच पर निर्भीकता से आवाज उठाते रहे। उद्योग एवं व्यपार जगत का वह निर्भीक एवं बुलंद स्वर सदा के लिए चिर निद्रा में चला गया।

स्व० पाण्डेय जी ने 23 अगस्त, 1975 को चैम्बर की सदस्यता ग्रहण की थी। उन्होंने 1983 से 1985 तक चैम्बर के उपाध्यक्ष, 1991 से 1993 तथा 1995 से 1997 तक चैम्बर के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया।

स्व० युगेश्वर पाण्डेय जी का पार्थिव शरीर सदस्यों के अंतिम दर्शनार्थ चैम्बर प्रांगण में लाया गया था। श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष ने स्व० पाण्डेय जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। चैम्बर के समस्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित वहाँ उपस्थित चैम्बर के सदस्यों ने स्व० पाण्डेय जी के पार्थिव शरीर पर माल्यापर्ण कर नम आँखों से उन्हें भावभीनी विदाई दी। इसके बाद बिहार के बुद्धिजीवियों/नागरिकों एवं चैम्बर के सदस्यों के समक्ष पटना के गुलबी घाट पर स्व० पाण्डेय जी का अंतिम संस्कार हुआ तथा वे पंचतत्व में विलीन हो गये।

स्व० पाण्डेय जी हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं रहे परन्तु चैम्बर के प्रति उनका लगाव, समर्पण और चैम्बर के कार्यकलापों में उनका सक्रिय योगदान चैम्बर की वर्तमान और आने वाली पीढ़ी कभी भूला नही पायेगी। चैम्बर के इतिहास में पाण्डेय जी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा तथा बिहार के उद्योग एवं व्यापार जगत के हृदय में वे हमेशा जीवित रहेंगे तथा उनके प्रति श्रद्धा एवं प्रेम सदैव बना रहेगा।

स्व. पाण्डेय के निधन पर चैम्बर प्रांगण में शोक सभा आयोजित

स्व० पाण्डेय के निधन पर दिनांक 29 अगस्त, 2015 को ही चैम्बर प्रांगण में एक शोक सभा आयोजित हुई।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष स्व० युगेश्वर पाण्डेय के चित्र पर माल्यार्पण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते चैम्बर के पदाधिकारी एवं सदस्यगण।

अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि स्व० युगेश्वर पाण्डेय 40 वर्षो से चैम्बर से जुड़े रहे और व्यवसायियों की समस्याओं के निदान हेतु आजीवन समर्पित एवं संघर्षरत रहे। व्यवसायियों की समस्याओं को जोरदार तरीके से हर स्तर पर उठाने के कारण वे राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों के बीच काफी लोकप्रिय थे। स्व० पाण्डेय जी 1983 से 1985 तक चैम्बर के उपाध्यक्ष एवं 1991 से 1993 तथा 1995 से 1997 तक चैम्बर के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया तथा चैम्बर की गतिविधियों में अंतिम समय तक सक्रिय भूमिका निभाई।

चैम्बर अध्यक्ष ने आगे कहा कि स्व० पाण्डेय जी कई संस्थाओं से जुड़े थे। वहाँ भी उन्होंने सक्रिय सेवाएँ प्रदान की। वे मिलनसार, विनम्र, सहज एवं मृदुभाषी

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय सदस्यगण,

यह खुशी की बात है कि पिछले दिनों मेदान्ता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का पटना में खुलने वाली शाखा का शिलान्यास किया गया।

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम सब के अभिभावक व पितृतुल्य व्यक्तित्व रहे चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय जी का निधन श्रावणी पूर्णिमा संवत् 2072 दिनांक 29 अगस्त, 2015 को हो गया। यह बिहार के उद्यमियों एवं व्यापारियों के लिए अपूरणीय क्षति तो है ही, मेरी व्यक्तिगत क्षति भी है। मैंने अपना अभिभावक खो दिया है।

आपका
ओ. पी. साह
अध्यक्ष

व्यक्तित्व की प्रतिमूर्ति थे। स्व० पाण्डेय जी अपने आप में एक संस्था थे। उनसे मेरा संबंध काफी दिनों से था। उन्होंने मुझे सदैव पिता तुल्य स्नेह दिया। विषम परिस्थितियों को संभालने की अद्‌भुत क्षमता स्व० पाण्डेय जी में थी। उनका निधन बिहार के उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत क्षति है और मैने अपना अभिभावक खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को चिर स्थायी शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री पी० के० अग्रवाल, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी श्रद्धांजली में कहा कि मैं स्व० पाण्डेय जी के अध्यक्षीय कार्यकाल के पश्चात चैम्बर अध्यक्ष बना था। अपने संस्मरण के बारे में श्री अग्रवाल ने कहा कि हमलोग चैम्बर के 30-35 सदस्य दिल्ली गये थे। वहाँ एक मंत्री महोदय के यहाँ जाने पर मंत्री महोदय ने कुछ ऐसी बात कह दी जो चुभने वाली थी। हम सभी लोग स्तब्ध थे, इस पर स्व० पाण्डेय जी ने ऐसी बात कही कि माननीय मंत्री जी की भाषा तत्‌क्षण बदल गयी और वे सकारात्मक बातें करने लगे। विषम परिस्थिति को सहज करने की विलक्षण क्षमता स्व० पाण्डेय जी में थी।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के समय में स्व० पाण्डेय जी ने एक बार एक सार्वजनिक मंच से बड़ी निर्भीकता से जोरदार शब्दों में कहा था– ''मुख्यमंत्री जी, हमें सड़क, पानी, बिजली न मिले परन्तु हमें न्याय और हमारा आत्मसम्मान चाहिए।''

श्री अरूण अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोशियेशन ने अपनी श्रद्धांजली में कहा कि 30-40 सालों से उनके साथ जुड़े थे। चैम्बर के अतिरिक्त मगध स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में भी उनसे संपर्क बना रहा। क्राइसिस मैनेजमेंट में उन्हें महारत प्राप्त था। मुझे अभिभावक तुल्य उनका स्नेह मिला।

श्री पी० के० सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोशियेशन ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्व० पाण्डेय जी को हमलोग प्यार से ''बाबा'' कह कर पुकारते थे। चैम्बर के चुनाव के संबंध में हमेशा मुझे सीख देते थे। उनका सुझाव मुझे कई जगह पर काम आया। वे बेबाक और निर्भीकता से अपनी बातों को रखते थे। सावन की पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु हुई है। काफी शुभ दिन है। उनके पदचिन्हों पर हम चलें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजली होगी।

श्री के० पी० एस० केशरी, चैम्बर के पूर्व महामंत्री ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि 20 वर्षों से मेरा संबंध स्व० पाण्डेय जी के साथ रहा। एक सत्र में वे चैम्बर अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री था। उद्यमियों की समस्याओं को वे सदैव उठाते रहे। मुझे उनकी कमी काफी खलेगी।

श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कहा कि मैं काफी दिनों से चैम्बर के इतिहास की गहराईयों को ढुंढ रहा हूँ। कई किताबें एवं फोटोग्राफ देखे। मुझे फोटोग्राफ में शायद ही कुछ फोटोग्राफ मिले जिनमें स्व० पाण्डेय जी नहीं मिले। अन्यथा सभी जगह स्व० पाण्डेय जी की सक्रियता दिखी।

श्री सुबोध जैन, पूर्व कोषाध्यक्ष ने अपने श्रद्धासुमन में कहा कि हमलोग छपरा के ही रहने वाले हैं। इसलिए मेरा संबंध काफी समय से था। वे सदैव अभिभावक के रूप में मुझे नेक सलाह देते रहे।

श्री दिलजीत खन्ना, चैम्बर सदस्य ने अपनी श्रद्धांजली में कहा कि मेरा भी उनके साथ काफी दिनों से घनिष्ठ संबंध रहा। व्यापारियों को वे हमेशा समर्थन करते थे। मुझे भी उनका पिता तुल्य प्यार मिला।

श्री ए० एम० अंसारी ने अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा वे अभिभावक की तरह मुझे स्नेह देते थे। सदैव नेक सलाह देते थे। उनकी कमी मुझे सदैव खलेगी।

श्री एम० पी० बिदासरिया ने अपनी श्रद्धांजली में कहा कि वे मेरे अभिभावक थे। अभिभावक की तरह उचित सलाह दिया करते थे। बिक्री कर के संघर्ष में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनके बताये मार्ग पर चलें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजली होगी।

चैम्बर के उपाध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार पटवारी, कोषाध्यक्ष, डा० रमेश गाँधी, महामंत्री, श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल सहित कई सदस्यों ने भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजली दी।

दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गयी।

मैं 29 अगस्त, 2015 को पटना में नहीं था, जिस दिन काल के क्रूर हाथों ने हम सबसे हमारे अभिभावक श्री युगेश्वर पाण्डेय जी को हमसे छीन लिया और मैं उनके अन्तिम दर्शन से भी वंचित रह गया। यह मेरा दुर्भाग्य रहा।

श्री युगेश्वर पाण्डेय जी ने ही मुझे बिहार के शीर्ष संस्था बिहार चैम्बर से जोड़ा था और मुझे इस अग्रणी व्यापारी संस्था के साथियों से मिलने का तथा बहुत कुछ जानने, सीखने का मौका मिला।

मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों सहित चैम्बर के सभी साथियों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें।

रामचन्द्र प्रसाद
चेयरमैन
लाईब्रेरी एण्ड बुलेटिन सब-कमिटी

बैंक क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा ब्याज नहीं वसूल सकेंगे

क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान में देरी पर मनमाना ब्याज वसूले जाने की कारगुजारी के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है।

इस संबंध में 2012 में जारी दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू कराने के तौर पर तरीकों पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस मुद्दे पर एक समीक्षा बैठक होगी। बैठक में आरबीआई निर्देशों को लागू कराने के लिए एक निगरानी समिति का गठन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से क्रेडिट कार्ड पर वसूले जाने वाली ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की थी। दरअसल मंत्रालय प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए बकायदा प्रस्ताव का ऐलान करने वाली है। लेकिन उसका मानना है कि मनमाना ब्याज वसूले जाने से ग्राहक क्रेडिट कार्ड से दूरी बना लेंगे। इस बीच, आरबीआई भी इस मुद्दे पर सख्त नीति अपनाने के मूड में है। वह पहले ही बैंकों से काफी खफा है। आरबीआई बेस रेट पर ब्याज लेने को कई बार कह चुका है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 28.8.2015)**

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा के साथ चैम्बर में संवाद

सदस्यों को संबोधित करते श्री जयन्त सिन्हा, माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः श्री संजय मयूख, माननीय विधान पार्षद एवं श्री नितिन नवीन, माननीय विधायक। दाँयीं ओर श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष, श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 26 अगस्त, 2015 को श्री जयंत सिन्हा, माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री के साथ चैम्बर सदस्यों का एक संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की। इस अवसर पर माननीय विधान पार्षद श्री संजय मयूख, माननीय विधायक श्री नितिन नवीन, उप-आयकर आयुक्त डॉ० प्रताप नारायण शर्मा भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि मुझे राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की शीर्ष संस्था बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपार खुशी हो रही है। महोदय, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर पधारने का कष्ट किया इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद।

महोदय, हमलोग पिछले कुछ महीनों से आपके आगमन की प्रतीक्षा में थे और आपका आश्वासन था कि पटना आने पर आप चैम्बर जरूर पधारेंगे और आपने उसे पूरा किया।

महोदय, आप यहीं के हैं और संपूर्ण देश के साथ-साथ बिहार की अर्थ-व्यवस्था के बारे में आपको पूरी जानकारी है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी के बाद बिहार की लगातार उपेक्षा हुई है चाहे भाड़ा समानीकरण नीति हो, सार्वजनिक पूंजी निवेश का मामला हो या खनिज रॉयलटी का मामला हो, जिसके कारण राज्य पिछड़ता चला गया। यह संतोष की बात है कि पिछले 10 वर्षों से राज्य में विकास की किरण दिखी है और राज्य के नागरिकों का आत्म विश्वास बढ़ा है।

महोदय, बैंकों का रवैया राज्य के प्रति शुरू से ही नकारात्मक रहा है वह आज भी बरकरार है। हमारे यहाँ का उद्यमी, व्यवसायी, किसान जब बैंकों में ऋण के लिए आवेदन करता है उसी समय से उसको शंका की दृष्टि से देखा जाने लगता है। आज जब देश में CD Ratio करीब 78% है तब बिहार का CD Ratio करीब 42% है। महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों का सहयोग आवश्यक है।

बैंकों के इस नकारात्मक रूख को देखते हुए तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री यशवन्त सिन्हा साहब ने बैंकों को बिहार में तीन माह में 1000 करोड़ रूपया Sanction & Disbursement करने का लक्ष्य दिया था, जिसे बैंकों ने पूरा किया था। इससे ऐसा लगता है कि बिहार में ऋण ग्रहण की क्षमता है Viable Proposal की भी कमी नहीं है सिर्फ बैंकों को अपने रवैये में सुधार करने की आवश्यकता है ।

महोदय, पूर्व में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को SLBC में प्रतिनिधित्व था, लेकिन कालान्तर में उक्त कमिटी में उद्योग एवं व्यवसाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः अनुरोध है कि SLBC में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व देने का आदेश देने की कृपा करें जिससे उद्योग एवं व्यवसाय की बातों को उक्त उच्चस्तरीय कमिटी में रखा जा सके।

महोदय, बिहार आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है और राज्य सरकार के सीमित संसाधनों से पिछले 10 वर्षों में राज्य में करीब 8000 करोड़ रूपया का पूंजी निवेश हुआ है लेकिन इस तरह के निवेश से राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में आने में काफी समय लगेगा और यह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ा ही रह जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार विधान सभा ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह को भेजा था, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए जिससे राज्य में लगने वाले उद्योगों को केन्द्रीय करों में छूट मिले जैसा कि उत्तरांचल, हिमाचल, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर में लगनेवाले उद्योगों को प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें खुशी है कि आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राज्य की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को देखते हुए राज्य के 21 जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को Investment Allowance में 15% और Depreciation में 15% 2015 से 2020 तक स्थापित होने वाले उद्योगों को देने की घोषणा की और तदनुसार CBDT द्वारा उसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है लेकिन महोदय राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना प्रासांगिक होगा क्योंकि इसके बिना राज्य के बाहर के बड़े औद्योगिक घराने राज्य में पूंजी निवेश हेतु आगे नहीं आ पाएंगे।

इसके अलावा बिहार के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए यहाँ के उद्योगों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा सकता है। बिहार के NPA का Ratio अन्य राज्यों की अपेक्षा भी काफी कम है।

महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु एक लाख पचीस हजार करोड़ रूपया की घोषणा का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारा ऐसा विश्वास है कि यह राज्य के सर्वांगीण विकास में काफी मददगार साबित होगा।

महोदय, GST के विषय मे देश मे कई तरह की चर्चाएँ हो रही है। इस विषय में अभी तक Stake Holders से कोई चर्चा कम से कम बिहार में तो नही हुई है। इस तरह के बड़े Tax Reform पर Stake Holders से चर्चा होनी चाहिए एवं उसके लिए कार्यशाला का आयोजन कर नयी टैक्स प्रणाली की जानकारी दी जानी चाहिए। पूर्व में 2005 में जब वैट कानून लागू हुआ था तो दो वर्षो तक लगातार चर्चाएँ, कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिससे सभी Stake Holders को लागू होने वाले कानून की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकी।

महोदय, जैसा कि ज्ञात हुआ है कि तीन तरह के GST लगाने का प्रस्ताव है, हमारा सुझाव है कि एक ही प्रकार का GST रहना चाहिए। साथ ही साथ प्रस्तावित कानूनों की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, विचार-विमर्श एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

चैम्बर के बैंकिंग एण्ड टैक्सेशन उप-समिति के चेयरमैन एवं चैम्बर के पूर्व अधयक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए बिहार के लिए

उत्तराखंड एवं हिमाचल की तर्ज पर Special norms प्रदान करने, राज्य के आर्थिक विकास हेतु बिहार में आयकर का सेन्ट्रल प्रोसेसिंग सेन्टर खोलने, कम से कम एक राष्ट्रीयकृत बैंक का मुख्यालय खोलने, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमीटी में चैम्बर का प्रतिनिधित्व पुनः बहाल करने, चैम्बर के पहल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने Tripal 'B' Foram का गठन किया था जिसे बाद में समाप्त कर दिये जाने, बिहार के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु 2% बैंक ब्याज दर कम करने के अतिरिक्त Corporate Social Responsibility (CSR) A आयकर कानून 1961 के सेक्शन 43CA, कम्पनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों इत्यादि के संबंध में माननीय वित्त राज्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।

माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि देश का निर्माण तभी होगा जब आप टैक्स भरेंगे। पूरे देश में लगभग हर साल खर्च 18 लाख करोड़ होता है जबकि कमाई 12.5 लाख करोड़ है। इस प्रकार 5.5 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि यदि आज युद्ध हो जाये तो सेना के पास एक सप्ताह से ज्यादा का गोला–बारूद नहीं है। इसलिए टैक्स बहुत जरूरी है। तभी सरकार सुविधाओं के साथ सुरक्षा भी प्रदान कर पायेगी।

माननीय मंत्री ने आगे कहा कि कोई भी बैंक हो और प्रोजेक्ट कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपको ऋण अवश्य मिलेगा, वशर्ते प्रोजेक्ट सही होनी चाहिए। कई छोटे लोग हैं जिन्हे समय पर ऋण नहीं मिल पाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुद्रा कार्ड के माधयम से उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध हो जायेगा। उन्होंने कहा कि बिहार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सवा लाख करोड़ दिया है उसका सही से उपयोग हो तो सूबे की बिजली,पानी, सड़क व अन्य बुनियादी समस्या समाप्त हो जायेगी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक के मुख्यालय, आयकर की सेन्ट्रल प्रोसेसिंग की स्थापना SLBC में प्रतिनिधित्व हेतु चैम्बर तरफ से लिखित आना चाहिए ताकि मैं उस पर विचार कर सकूँ। चैम्बर की Investment Allowance की मांग पर कहा कि नया बजट आने पर ही कुछ बदला जा सकता है। आन्ध्र में भी 15% Investment Allowance दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ज्ञापन के अन्य बिन्दुओं पर कहा कि इन पर विचार किया जायेगा।

उक्त अवसर पर शॉल भेंटकर चैम्बर अध्यक्ष ने माननीय मंत्री महोदय का सम्मान किया।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री मधुकर नाथ बरेरिया, महामंत्री श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल सहित चैम्बर के सदस्य एवं मिडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

MEMORANDUM SUBMITTED TO MR. JAYANT SINHA, HON'BLE UNION MINISTER OF STATE FOR FINANCE IS REPRODUCED BELOW

* Bihar has historically suffered due to regressive Economic Policies and Public Investment decisions hence Bihar should be included in the list of most favoured State status as allowed to Uttranchal, Himanchal Pradesh and North-Eastern States. Special norms should also be framed for Bihar.
* The demand of Bihar for Special Norms for the State is pending since long time. If decision is made for Special Norms for the state then Bihar will get 100% tax exemption for at least five years under Income Tax Act. Since decision for Special Norms for the state is pending hence we request that State of Bihar should be included in Eight Schedule of I.T. Act, 1961 for 100% exemption from Income Tax for five years.
* 80IB of Income Tax Act 1961 provides for deduction of 100% for five assessment years and thereafter for further 5 assessment years, twenty five percent (thirty percent in case of company) of the profit and gains derived from Industrial undertaking in industrially backward state specified in the Eight Schedule of I.T. Act.
* SECTION 80 IB(5) – Earlier there was provision that if whole state cannot be declared as Industrially backward State, then Industrially backward districts of such State can avail deduction of 100% for five assessment year and thereafter for five years twenty five percent (thirty percent in the case of company) of the profit and gains for category 'A' Industrially backward districts and 'B' category districts can also avail deduction of 100% for three assessment years and thereafter 25% or 30% as applicable for further five assessment years.But this deduction was withdrawn w.e.f. 01-04-2004 hence it is suggested to re-store the provision so that industrialist of category 'A' districts of Bihar, i.e. (1) Araria (2) Madhepura (3) Khagaria (4) Kishanganj (5) Madhubani (6) Jehanabad (7) Saharsa (8) Nawadah (9) Sitamarhi (10) Aurangabad (11) East Champaran (12) Purnia (13) Siwan (14) Vaishali And category 'B' districts of Bihar (1) Katihar (2) Bhagalpur (3) Gopalganj (4) Darbhanga (5) West Champaran (6) Saran (7) Bhojpur (8) Samastipur (9) Nalanda (10) Gaya (11) Muzaffarpur (12) Rohtas can also claim such deduction which will increase the industrial progress of the State.
* We request that for the State economic development a Central Processing centre of the Income Tax (CPC) should also be opened in Bihar.
* The headquarters of atleast any Nationalised Banks should be opened in Bihar State.
* On the advice of the Union Minister of State for Finance, Bihar Chamber of Commerce & Industries was given a representation in the State Level Banker's Committee to take up the issues of trade and industry at this forum. This has been withdrawn unilaterally even without giving any information to the Chamber. This representation should be restored with immediate effect.
* There should be a forum for periodical dialogue with the Bankers and representatives of trade & industry.
* In 2013 a forum was constituted by State Bank of India, but unfortunately it was discontinued. This type of forum need to be regularized.
* It is very unfortunate that industrially backward state Bihar, is not included in the list of Industrially backward states in Eight Schedule.
* **Reduction in Bank Interest Rate**

For facilitating industrialization in the backward states like Bihar we suggest to reduce the interest rate by 2% for reducing the interest burden.

* **Deduction for expenditure on Corporate Social Responsibility (CSR) in Income Tax**

Corporate sector needs encouragement to progressively integrate the activities on the social front for the development of the society, with the business purpose and business plan of the company. Now Companies Act 2013 has made it mandatory.

It is suggested that a new section may be introduced in the Income Tax Act to recognize the expenditure which is incurred by a company and which is certified by a Practicing Chartered Accountant (after conducting CSR audit) as expenditure incurred for discharging the corporate responsibility towards the society. Companies Act 2013 contains a provision which requires specified category of companies to incur a prescribed percentage of their profit on CSR Activities during the financial year. Therefore, now a need arises to encourage companies towards CSR, by allowing them a weighted deduction of 150% of the amount expended on CSR activities.

* **Section 43CA of the Income Tax Act. 1961**

As per the provisions of this section, real estate developer cannot sell the properties below the stamp duty value. The fact of the matter is that stamp duty value in many states is quite high in comparison to the actual value. This is the root cause of slowing down of the real estate sector in India. Unfortunately the bureaucrats sitting in the government have no idea of the ground realities. This section must immediately be withdrawn till the stamp duty values in different states are brought to the realistic level.

* **Provisions of Companies Act. 2013**

Most of the provisions of the companies act. 2013 are very impractical and have been designed for big companies. We suggest that the Companies Act should be re-written or small companies upto the net worth of Rs. 25 Crores should be exempted from impractical provisions of the Companies Act. There should be a thorough study of the impact of the provisions of the Companies Act on the smaller companies. In fact, there is a drastic drop in the formation of companies after the enactment of the provisions of Companies Act 2013.

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा स्थापित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में मेंहदी प्रतियोगिता आयोजित

मेंहदी प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी महिलाएँ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा अपने प्रांगण में स्थापित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 25 अगस्त, 2015 को प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा मेंहदी कला की प्रशिक्षित महिलाओं की मेंहदी प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

पिछले 15 दिनों से यहाँ पर 60 लड़कियों को मेंहदी कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं की प्रतिभा का परीक्षण किया गया। कम्पीटीशन में साबिया प्रवीण फर्स्ट, प्रिया कुमारी सेकेंड व सौम्या कुमारी ने थर्ड स्थान प्राप्त किया। वहीं सोनम व जाकिया प्रवीण को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। लड़कियों को मेंहदी कला श्रीमती मधु जैन ने सिखायी। आधार महिला स्वावलम्बी संस्था की अध्यक्ष श्रीमती गीता जैन जो चैम्बर द्वारा स्थापित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक हैं, ने कहा कि मेंहदी कला भी आर्थिक स्वावलम्बन का बहुत बड़ा जरिया बन गयी है। इसमें निवेश या मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ हुनर की आवश्यकता होती है। महिलाएं घर बैठे रोजगार कर सकती है। आजकल मेंहदी लगाने का प्रचलन बढ़ गया है। महिलाएं दो-तीन घंटे काम कर दस हजार रूपये से अधिक कमा सकती है ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के कौशल विकास सब-कमिटी के चेयरमैन श्री मुकेश कुमार जैन ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स डेढ़ साल से लगातार सिलाई, कटाई, कम्प्यूटर एवं मेंहदी कला महिलाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण दे रहा है।

श्री मुकेश कुमार जैन, श्रीमती गीता जैन, श्रीमती मधु जैन, प्रशिक्षण केन्द्र की चैम्बर की इंचार्ज सुश्री माधवी सेन गुप्ता तथा कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की प्रशिक्षिकाएं सुश्री ममता सिन्हा, श्रीमती दुर्गा बनर्जी, गोशिया और इरम ने प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई ।

अपने कार्यालय के सामने के फुटपाथ को संवारेगा चैंबर

बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज परिसर के सामने अब आपको मनमोहक फूलों की खूशबू, साफ सफाई, चमचमाती लाइटिंग और व्यवस्थित पार्किंग मिलेगी। चैम्बर ने परिसर के सामने की सड़क की दूसरी और फुटपाथ को संवारने का जिम्मा लिया है। दैनिक भास्कर की ओर से स्वच्छ पटना, मिशन अपना अभियान चलने के बाद चैम्बर इससे प्रभावित हुआ और इस सड़क की सफाई और इसे संवारने का जिम्मा लिया। चैम्बर इस प्रोजेक्ट पर लगभग 10 लाख की राशि खर्च कर रहा है। चैम्बर के ट्रेजरर रमेश गांधी के अनुसार अगले एक से दो सप्ताह में प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। मालूम हो कि अंटा घाट सब्जी बाजार के दबाब के कारण चैम्बर परिसर के सामने ही लंबी दूरी तक कूड़ा बिखरा रहता है। चैम्बर के अलावा इस रास्ते से बार. एसोसिएशन, सिविल सर्जन कार्यालय, रेल कार्यालय, बांकीपुर क्लब सिविल कोर्ट जैसे प्रमुख संस्थान हैं। इस स्वच्छता प्रोजेक्ट में जिलाधिकारी और नगर निगम का भी सहयोग मिल रहा है। चैम्बर के सामने फुटपाथ से लगभग 60 फुट तक पक्का गैलरी बनायी गई है। इसमें फुलवारी डेवलप की जाएगी। बेहतर लाइटिंग की जा रही है। चैम्बर के अधिकारी बताते हैं कि पौधों और स्थल के लिए विशेष रूप से 3-4 स्टॉफ की नियुक्ति की जाएगी।

"चैम्बर चाहता है कि परिसर के बाहर भी साफ सफाई रहे। अब यह क्षेत्र अतिक्रमण और गंदगी से मुक्त रहेगा।" **– ओ. पी. साह,** अध्यक्ष, बीसीसीआई

(साभार : दैनिक भास्कर, 31.8.2015)

फतुहा इंडस्ट्रीयल एरिया में फले-फूलेगा लेदर उद्योग

- **छोटे उद्यमियों के लिए बनेगा कॉमन फैसिलिटिज सेन्टर**
- **राज्य सरकार ने दिया दस करोड़ का अनुदान**

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न विभागों के अन्तर्गत 19,499 करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं कार्यारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना के तहत दस करोड़ रुपये के अनुदान का राज्यादेश अर्पणा इंडस्ट्रीज प्रोमोशन काउंसिल को प्रदान किया।

उद्योग विभाग के अंतर्गत इस योजना में कलस्टर बनाकर छोटे उद्यमियों एवं कामगारों को कॉमन फैसिलिटिज सेन्टर के माध्यम से अत्याधुनिक मशीनें एवं अन्य सुविधायें मुहैया करायी जायेगी। बिहार फाउंडेशन मुंम्बई के पहल पर मुम्बई के धारावी में लेदर इन्डस्ट्रीज में पर्स, जूते आदि लेदर से जुड़े बिहार के अधिक संख्या में छोटे-छोटे उद्यमी एवं कामगार को अपने राज्य में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के मद्देनजर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना के तहत फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में कॉमन फैसिलिटिज सेन्टर स्थापित करने के लिए अनुदान दिया है। जहाँ कलस्टर में जुड़कर लेदर इंडस्ट्रीज मे काम करने वाले कम पूंजी वाले उद्यमी जिन्हें स्टिचिंग आदि महंगे मशीनों की जरूरत पड़ती है, वे खरीद नहीं पाते हैं। वे इस कॉमन फैसिलिटिज सेन्टर में उपलब्ध अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग कर अपने उत्पादों को उतकृष्ट एवं विश्व मानक के अनुसार बना पायेंगे और निर्यात भी कर पायेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और उन्हें अपने राज्य में ही रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

गौरतलब है कि मुम्बई के धारावी में स्थित लेदर इन्डस्ट्रीज में बिहार के काफी संख्या में कामगार काम करते हैं। अर्थाभाव के कारण हुनर रहते हुये भी वे अपने उत्पादों का निर्माण एवं मार्केटिंग नहीं कर पाते।

मुख्यमंत्री कलस्टर योजना के तहत अर्पणा इन्डस्ट्रीज डेवलपर के रूप में कॉमन फैसिलिटिज सेन्टर फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करेगी, इसके लिये राज्य सरकार द्वारा दस करोड़ रुपये अनुदान का राज्यादेश प्रदान किया गया है। **(आज, 24.8.2015)**

PROJECTS LAUNCHED BY CHIEF MINISTER

PROJECTS	COST (in crores)
Kachi Dargah-Bidupur bridge on Ganga, two flyovers in Patna, approach road of Digha-Sonepur bridge	₹ 8,834.80
Power projects	₹ 5,541.67
Kosi basin deyelopment scheme	₹ 2,259.00
Rural roads	₹ 2,138.19
Urban development and housing	₹ 626.33
Art and culture	₹ 37.99
Craft and industries	₹ 31.60
Building construction	₹ 29.90
Total cost	**₹ 19,499.48**

Details: Hindustan times, 24.8.2015

मुख्यमंत्री ने अगले पाँच साल के लिए गिनाए 2.70 लाख करोड़ के 7 कार्यक्रम

मुख्यमंत्री के सात संकल्प

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगली सरकार उनकी बनी तो 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसके ब्याज पर तीन प्रतिशत की सहायता दी जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

विकास के सात सूत्र

1. सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
2. इंटर पास विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड, ब्याज पर 3 फीसदी सब्सिडी देगी सरकार।
3. राज्य में खुलेंगे पाँच नए मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज।
4. हर जिले में जीएनएम स्कूल व महिला आईटीआई, हर अनुमंडल में एनएमएम स्कूल।
5. राज्य के हर घर में बिजली का कनेक्शन और पाइप से पेयजल की सप्लाई।
6. सभी बसावटों को सड़क से जोड़ा जाएगा, गलियों को पक्का बनाया जाएगा, नालियां बनेंगी।
7. सभी गांवों के हर घर को शौचालय निर्माण की योजना से जोड़ा जाएगा।

(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 29.8.2015)

उद्योग लगाने के लिए ऑनलाइन जमा करें आवेदन

आप उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं तो अनुमति के लिए अब ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। घर बैठे बिहार राज्य प्रदूषण परिषद में ऑनलाइन आवेदन के साथ ही शुल्क भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की वेबसाइट bspcb.bin.nic. पद पर लॉग इन करना होगा। जहाँ तय फॉर्मेट में जानकारी देनी होगी। नई व्यवस्था एक सितम्बर से लागू हो जाएगी।

परिषद में अब शुल्क भी ऑनलाइन जमा होंगे। छोटे-बड़े सभी उद्योग स्थापित करने वालों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। पहले पाँच करोड़ से अधिक का उद्योग स्थापित करने वालों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा थी। लेकिन अब एक सितम्बर से सभी प्रकार के उद्योग के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिल जाएगी।

पहले शुल्क जमा नहीं हो पाता था। उद्योग स्थापित करने के पहले प्रदूषण परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। परिषद की ओर से विशेष स्थल का निरीक्षण किया जाता है और गाइडलाइन के तहत जाँच होती है। मानको पर खरा उतरने पर शर्तों के साथ एनओसी दी जाती है। तब उद्योग स्थापित होते हैं। उद्योग स्थापना में परिषद मुख्यत: जल व वायु प्रदूषण की स्थिति की जाँच करता है। इसके साथ उद्योग स्थापित होने का स्थल मानक के अनुसार रहना अनिवार्य है। उद्योगों के प्रदूषण की जांच प्रत्येक तीन वर्ष पर कराई जाती है। पहले यह एक वर्ष पर की जाती थी। पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार ने इसे शीघ्र लागू कराने के लिए पहल की।

"ऑनलाइन शुल्क के साथ आवेदन जमा होने से उद्योग स्थापित करने वालों को ऑफिस के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। कमी के बारे में भी परिषद ऑनलाइन सूचना मांगेगा। पेपरलेस काम हो जाएगा। ऑनलाइन होने से रजिस्टर मेंटेन करने और फाइलों के अंबार से राहत मिलेगी। आवेदन के बाद कार्य को पूरा करने का समय निर्धारित कर दिया गया है। व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी।"

– **अवधेश कुमार ओझा,** सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण परिषद

(साभार: दैनिक जागरण, 28.8.2015)

दो वर्षों में प्रोडक्शन शुरू नहीं किया तो नहीं मिलेगी लैंड ट्रांसफर छूट

• दो वर्षों में फैक्टरी से उत्पादन शुरू न हुआ, तो बैंक गारंटी मनी होगी जब्त • उद्योग खोलने को लैंड-ट्रांसफर शुल्क में 100 प्रतिशत मिलती है छूट • उद्योग विभाग ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में किया नया प्रावधान

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत इंडस्ट्रीयल एरिया में भूमि एलॉट करा कर उद्योग न चलाने वालों को अब उद्योग विभाग कोई राहत नहीं देगा। उद्योग विभाग ने उद्योग खोलने के लिए लैंड-ट्रांसफर में 100 प्रतिशत छूट देने के फैसले में कोई परिवर्तन तो नहीं किया है, किंतु भूमि लेने वाले उद्यमियों ने यदि दो वर्षों तक उद्योग से प्रोड्क्शन शुरू नहीं किया, तो उन्हें लैंड ट्रांसफर और बैंक गारंटी की छूट नहीं मिलेगी। दो वर्ष में प्रोडक्शन शुरू न करनेवाले उद्यमियों की बैंक गारंटी भी जब्त होगी। उद्योग विभाग ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन कर दिया है।

बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने वर्ष 2011 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनायी है। इसके तहत सूबे में उद्योग खोलने वालों को विभाग इंडस्ट्रीयल एरिया में भूमि खरीद पर ट्रांसफर शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देता है। यही नहीं, उद्योग चलान के लिए बैंकों से ऋण भी विभाग मुहैया कराता है। विभाग उद्यमियों को बैंक गारंटी मनी अपने स्तर से देता है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति तो बनी, किंतु इसका रिजल्ट बेहतर नहीं निकल रहा था। नया उद्योग लगाने को निवेशक नहीं आ रहे थे। उद्योग लगाने को कई नये उद्यमियों ने जमीन तो ले ली, किंतु उस पर उद्योग चालू नहीं किया गया, नया उद्योग लगाने को बैंकों से ऋण ले कर कई उद्योगों से प्रोड्क्शन शुरू नहीं ही सका। इस सिलसिले पर ब्रेक लगाने के लिए उद्योग विभाग ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में नया प्रावधान किया है।

इंडस्ट्रीयल एरिया में उद्योग खोलने के लिए कई विधायकों ने भी फतुहा-बिहटा में भूमि व बैंक लोन ले रखा है, किंतु आज तक उन्होंने अपने उद्योगों से प्रोड्क्शन शुरू नहीं किया। प्राय: हर वर्ष उद्योग विभाग उन्हें बकया-लोन भुगतान करने को ले कर नोटिस भी जारी कर रहा है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के नये प्रावधान से इस पर रोक लगेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 15.8.2015)

भूमि विधेयक में राज्य कर सकेंगे संशोधन : जेटली

मौजूदा सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश समाप्त होने और 2013 का भूमि अधिनियम फिर से अमल में आने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य सरकारों को अब अपना विधेयक लाने और पुराने कानून में संशोधन कर उसके लिए राष्ट्रपति से सहमति लेने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों को यह अनुमति देगी कि वे अपने राज्य की जरूरतों के मुताबिक भूमि अधिनियम 2013 में संशोधन कर सकें।

जेटली ने कहा कि संपत्ति का अधिग्रहण सूची 3 की प्रविष्टि 42 में है, जो संविधान की समवर्ती सूची में आता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 254 (2) में साफ साफ प्रावधान है कि राज्य सरकारें समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं। भले ही इसका केन्द्र के कानून से कोई टकराव हो। ऐसे कानून के लिए राष्ट्रपति से सहमति लेनी होती है। उन्होंने कहा, 'राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है कि वह 2013 के भूमि कानून में बदलाव कर सकें और उसके लिए राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी, जिससे वह प्रभावी हो सके। नीति आयोग की बैठक में इस मसले पर सहमति बनी है। एक राज्य ने पहले ही संशोधन पेश किया है, कुछ और राज्य जल्द ही ऐसा करेंगे।' मौजूदा स्थिति को साफ करते हुए उन्होंने कहा, '2013 अधिनियम के तहत अधिग्रहण होगा। यह विधेयक स्थायी समिति के पास है और सुझावों को लेकर कुछ आम राय अगर बन जाती है तो उसे लागू किया जाएगा। ऐसे में अगर कोई राज्य केन्द्र के कानून में कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसकी अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।'

(साभार: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 2.9.2015)

Industry set to get green signal

The Government is set to hack away a great deal of red tape with a new classification of industries that uses colour codes to denote environmental impact, a move that means 36 industries may need no green clearance at all.

The national pollution watchdog's proposal also increases the

minimum duration of environmental consent while trimming the list of most-polluting businesses in an attempt to boost flagging economic growth.

The new mechanism also replaces a host of unwieldy state rules-which have different time-frames for renewal of approvals for different regions with a uniform national system that will promote more efficient environmental monitoring.

"The new rules will bring uniformity in the period for which consent to operate is given to industries" a senior official of the Central Pollution Control Board said. For the first time, the classification was based on " Scientific parameters " decided by a committee of experts, he added.

COLOUR-CODED

Industries are measured on a 'pollution potential index' where 0 indicates least polluting and 100 the most

Red: 59 industries with score of 60-100. Includes cement, steel, thermal power plants. **Green dearance to tast 5 years**

ORANGE : 73 industries- tobacco, steel and glass-with scores of 30-59. **Green dearance to last 10 years**

GREEN : 53 industries, including rice and dal mills, that scored 15-29. **Permissions don't lapse**

WHITE : New category with 36 industries that scored 0-14. Includes bicycles, hosiery. **Clearance not required**

(Details: Hindustan times, 3.9.2015)

मेदांता पूरी करेगी सुपर स्पेशियलिटी की कमी

पटना में सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल मेदांता का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अब किसी चीज का अफसोस नहीं है। कोई कहता कि इतने दिनों से हैं क्या कमी रह गई, तो कोई कहता है कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल नहीं बना। पर मेदांता के आने के बाद यह अफसोस भी नहीं रहा। कंकड़बाग के जयप्रभा अस्तपाल की 7 एकड़ भूमि में इस अस्पताल का निर्माण पीपीपी मोड में होगा। एक छत के नीचे कैंसर, हड्डी, हर्ट, किडनी, लिवर, न्यूरो आदि बीमारियों के इलाज के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। सौ बेड से शुरू होने वाले इस अस्पताल का विस्तार पाँच सौ बेड तक किया जाएगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.9.2015)**

बीज उत्पादन का निबंधन होगा ऑनलाइन

बीज उत्पादक अब ऑनलाइन बीज का निबंधन करा सकेंगे। साथ ही किसान अब घर बैठे अपने बीज का निबंधन कराकर अन्य किसानों को सहायता दे सकेंगे। आज किसान दूसरे राज्यों से लाए गए हाइब्रिड का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। घटिया बीज के कारण हर साल लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। इससे किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.9.2015)**

बिजली प्लांट लगाने पर प्रवेश कर वापस करेगी सरकार

राज्य में बिजली प्लांट लगाने पर बाहर से आने वाले उपकरणों पर लगे प्रवेश कर को भी अब सरकार वापस करेगी। प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति शत-प्रतिशत होगी। इससे पावर प्लांट लगाने वाले उद्योगपतियों का राज्य में आकर्षण बढ़ेगा। उद्योगपतियों की यह पुरानी मांग थी। इसके अलावा राज्य में शराब सस्ती हो जाएगी।

कैबिनेट में कुल 50 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रधान कैबिनेट सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि राज्य में दूसरे उद्योग लगाने के लिए बाहर से उपकरण मंगाने पर प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था पहले से थी। लेकिन बिजली प्लांट में यह व्यवस्था नहीं थी। उद्योगपतियों की मांग पर सरकार ने यह व्यवस्था कर दी। इसके लिए औद्योगिक प्रोत्याहन नीति में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूर किया। इसके अलावा सरकार ने 845 रुपए प्रति पेटी से अधिक कीमत वाली पर वैट घटा दिया है। बिक्री करने पर हर बार 50 प्रतिशत वैट लगाने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अब प्रथम चारण में ही केवल बीस प्रतिशत वैट देना होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.9.2015)**

व्यवसायियों ने रखी समस्याएँ

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवाकर राँची जोन पटना द्वारा करदाता व कर वसूली वसूली पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त शुल्क व सेवाकर शिवनारायण सिंह ने की। इसका आयोजन उद्योग व व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए किया गया। इस वर्ष को 'करदाताओं की सेवाओं का वर्ष' घोषित किया है। व्यवसाइयों ने मुख्य आयुक्त के समझ कई समस्याएं भी रखी, जिसे समाधान करने का आश्वासन दिया गया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.9.2015)**

सूबे में प्राइवेट कंपनियों से होगी बिजली की खरीद

बिहार में निजी कंपनियों से बिजली खरीदने की योजना है। केन्द्रीय कोटे से मिल रही मंहगी बिजली के कारण कंपनी ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हालाँकि, जब तक बिहार की जरूरत के लायक बिजली उपलब्ध नहीं हो जाती या अपना उत्पादन और नहीं बढ़ जाता, तब तक केंद्रीय कोटे से बिजली खरीद जारी रहेगी।

यूनिट	मेगावाट	यूनिट (प्रति रुपये)
केन्द्रीय कोटा	1948	4.25
बाढ़-दो	505	6.10
एनटीपीसी दादरी	180	5.20
एनटीपीसी कांटी	220	5.91
निजी कंपनी		
जीएमआर कमलांगा	200	2.79
अदानी	200	4.66
प्रस्ताव है	400	2.84

"रेल व हवाई जहाज का किराया जब पूरे देश में एक समान है तो फिर बिजली का टैरिफ रीजन के अनुसार अलग-अलग क्यों है। जिन राज्यों में वर्षों पहले यूनिट बनी हुई है, उन राज्यों को सस्ती और बिहार में नई यूनिटों के बनने से मँहगी बिजली मिल रही है।" **–बिजेन्द्र प्रसाद यादव,** ऊर्जा मंत्री

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 28.8.2015)

67 शाखाओं के साथ बंधन बैंक शुरू

बिहार में 67 शाखाओं एवं छह एटीएम के साथ बंधन बैंक का संचालन आरंभ हो गया। कलस्टर हेड समीर सिन्हा ने बताया कि इसमें पटना में दो शाखाएं है। दोनों एटीएम से लैस हैं। ये शाखाएं डॉक्टर कॉलोनी एवं बोरिंग रोड पर हैं। डॉक्टर कॉलोनी शाखा के प्रबंधक शशि रंजन मिश्र और बोरिंग रोड शाखा के प्रबंधक नीरज कुमार बनाए गए है। 10 नई शाखाएं और खोली जाएगी। बैंक बचत खाता में एक लाख तक की रकम पर साढ़े चार फीसदी एवं इससे आधिक पर पांच फीसदी ब्याज देगा। एफडी पर ब्याज साढ़े आठ फीसद होगी। जबकि वरीय नागरिकों के लिए नौ फीसद ब्याज मिलेगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 24.8.2015)**

छोटे कारोबारियों को भी आसानी से मिलेगा ऋण

छोटे कारोबारियों को आसानी से ऋण मिल सकेगा। यह ऋण मुद्रा कार्ड के माध्यम से अलग-अलग बैंको से उपलब्ध हो सकेगा। हाँ, इसके लिए किसी बैंक में खाता होना जरूरी है। खास बात यह कि ऋण लेने के लिए किसी तरह के कोलेट्रल की जरूरत नहीं है।

अब भी परंपरागत रूप से कर रहे कारोबार : मुदा कार्ड के जरिये छोटे कारोबारी, छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। देश में इस समय 5.75 करोड़ से ज्यादा छोटे कारोबारी हैं, जो अभी भी परंपरागत रूप से कारोबार कर रहे हैं।

दो माह में 2.25 लाख कारोबारियों को ऋण : खास बात यह है कि सरकार ने दो माह में बिहार में 2.25 लाख कारोबारियों को 50,000 रुपये तक का ऋण देने का लक्ष्य तय किया है। जबकि देश के 22-25 लाख कारोबारियों को ऋण देने का लक्ष्य तय किया है। जबकि देश के 22-25 लाख कारोबारियों को ऋण देने का लक्ष्य है। पंजाब नेशनल बैंक के फील्ड महाप्रबंधक एस. के. मल्लिक ने कहा कि छोटे कारोबारी ऋण लेकर नया कारोबार सहित अपने कारोबार को अपग्रेड कर सकते हैं।

तीन तरह के होंगे प्रोडक्ट : इसमें तीन तरह के प्रोडक्ट है। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। किशोर योजना के तहत 50,001 रुपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक और तरूण योजना के तहत पांच लाख एक रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जायेगा। समय पर ऋण चुकाने पर क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाया जा सकेगा।

इन्हें मिलेगा फायदा : इस योजना के तहत दुकानदार, फल एवं सब्जी विक्रेता, नाई, ब्यूटी पार्लर, हॉकर्स, रीपेयर शॉप, सेल्फ हैल्प ग्रुप, मशीन ऑपरेटर्स सहित कई कारोबारी इसका लाभ उठा सकते हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 31.8.2015)**

प्रॉपर्टी टैक्स में हो सकती है 15% की वृद्धि

राज्य सरकार सूबे में प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम का हवाला देते हुए सूबे के सभी नगर निकायों से प्रॉपर्टी टैक्स का ब्योरा तलब किया है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 24.8.2015)

PT. GPO/R-10/NP-15/2014-2016 R.N. 4211/62

चैम्बर का प्रतिनिधिमण्डल महामहिम राज्यपाल से मिला

बिहार के राज्यपाल महामहिम श्री रामनाथ कोविन्द को पुष्पगुच्छ भेंट करते चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल में दाँयें से क्रमशः पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

श्री पी० के० अग्रवाल, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 03 सितम्बर, 2015 को महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री रामनाथ कोविन्द से मिला। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन भी सम्मिलित थे। बिहार में उनके पदस्थापना पर बिहार के उद्यमियों एवं व्यापारियों की शीर्ष संस्था होने के नाते बिहार के समस्त उद्यमियों एवं व्यापारियों की ओर से महामहिम को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गयी।

बिहार के उद्योग एवं व्यापार की स्थिति से महामहिम को प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम को चैम्बर पधारने का एवं चैम्बर सदस्यों को अपने आशीर्वचन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत जल्द चैम्बर में सदस्यों से मिलने का आश्वासन दिया।

सौर ऊर्जा क्षेत्र में मिलेंगे 25 हजार रोजगार

केन्द्र सरकार देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है। आने वाले दिनों में इस उद्योग के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। सोलर सेल व मोड्यूल के लिए विनिर्माण क्षमता में बढोतरी से देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आने तथा 25, 000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

नवी एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, अनुमान हैं कि सोलर सेल व मोड्यूल की विनिर्माण क्षमता में बढोतरी में क्रमशः 2500 मेगावाट व 5000 मेगावाट सालाना की बढ़ोतरी होगी।' मंत्रालय के अनुसार, इससे विनिर्माण क्षेत्र में 25000 रोजगार सुजित होने तथा लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है।'

इस समय देश में सोलर सेल व सोलर मोड्यूल की विनिर्माण क्षमता क्रमशः 1386 मेगावाट व 2756 मेगावाट की है। अधिकारी ने कहा कि भारत द्वारा इस क्षेत्र के लिए घोषित लक्ष्यों से विनिर्माताओं में खासी रुचि दिखाई है और अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा जैसे विभिन्न देशों से कई बड़ी कंपनियां देश में विनिर्माण इकाई लगाने की इच्छुक हैं। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 31.8.2015)**

अगले साल ब्रेक इवन में आ जाएंगे जनधन खाते

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को उम्मीद है कि जनधन योजना के तहत खोले गए खाते अगले साल ब्रेक इवन (लाभालाभ) की स्थिति में आ जाएंगे क्योंकि इन खातों में औसत जमाओं में अच्छी वृद्धि हो रही है। इन खातों में कुल जमाएं जून के आखिर में बढ़कर 5125 करोड रुपए हो गई।

एसबीआई के प्रबंध निदेशक बी श्रीराम ने कहा, "हमें जनधन खातों के अगले साल तक लाभालाभ की स्थिति में आ जाने की उम्मीद है। बशर्ते हम जमाओं में वृद्धि की दर को मौजूदा स्तर पर या इससे थोड़ा कम भी बनाए रख पाते हैं। हमने इस तरह के हर खाते पर 132 रुपए खर्च किए हैं।" उन्होंने कहा कि इस तरह के खातों की संख्या जून के आखिर में लगभग दोगुनी होकर 7.81 हो गई जिसमें से 3.95 करोड़ खाने जनधन से पहले के हैं। जून 2014 में इस तरह के खातों की संख्या 3.76 करोड़ रही थी। श्रीराम ने कहा कि 7.81 करोड़ खातों में से 56 फीसद में अब भी शून्य बैलेंस है जबकि एक साल पहले 69 फीसद और मार्च तिमाहीं ने 54 प्रतिशत खातों में कोई बैलेंस नहीं था। यानी वे शून्य बैलेंस थे। इन खातों में औसत बैलेंस या जमा 656 रुपए है जो कि एक साल पहले 606 रुपए था।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 31.8.2015)

बिस्कोमान में सॉफ्टवेयर इंक्यूबेशन पार्क

सूचना एवं प्रावैधिकी के क्षेत्र में रोजगार सृजित करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बिस्कोमान भवन में 12 हजार वर्ग फुट में राज्य का पहला सॉफ्टवेयर इंक्यूबेशन पार्क आकार ले रहा है।

सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग पार्क में आईटी क्षेत्र से जुड़े नए उद्यमियों का साक्षात्कार हुआ। 31 उद्यमियों को पार्क में सरकार की तरफ से निःशुल्क जगह मुहैया करा दी जाएगी। आईटी आधारित इन उद्यमों में 300 से 500 युवा सीधे रोजगार से जुड़ जायेंगे।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.8.2015)

बधाई

गणेश कु. खेतड़ीवाल

सुरेश प्रकाश गुप्ता

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार द्वारा गठित पटना जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्य श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता को सदस्य मनोनीत किया गया है।

चैम्बर की ओर से दोनों सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएँ।

बधाई

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की सदस्य श्रीमती सुषमा साहू राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य मनोनीत की गई है। श्रीमती साहू पटना नगर निगम की पार्षद भी है ।

चैम्बर की ओर से श्रीमती साहू को बधाई एवं शुभकामनाएँ।

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296